



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 11, 2012/आश्विन 19, 1934

No. 224]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2012/ASVINA 19, 1934

### केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2012

सं. एल-7/143/158/2012-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

#### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

“(छ) 'आर्थिक अपराध' से आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 (1974 का 2) की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी परिनियम के अधीन अपराध अभिप्रेत है;”

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

“(ट) ‘अंतर-राज्यिक व्यापार’ से किसी एक राज्य से किसी अन्य राज्य को पुनः विक्रय के लिए विद्युत का क्रय अभिप्रेत है जिसमें लागू विधियों के अनुपालन तथा समुचित प्राधिकारियों द्वारा निकासी के अधीन रहते हुए, भारत के भीतर पुनः विक्रय के लिए किसी अन्य देश से आयातित विद्युत या किसी अन्य देश को निर्यातित विद्युत सम्मिलित है।”

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया उपखंड (i) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(टी) ‘अंतःराज्यिक व्यापार’ से उसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर पुनः विक्रय के विद्युत का क्रय अभिप्रेत है।”

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

“(ड) ‘अनुज्ञप्तिधारी’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई हो:

“परन्तु यह कि यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा प्रदत्त अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति पर आधारित अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विनियमित किया जाएगा, जो अंतःराज्यिक व्यापार पर संबंधित राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं विनियमों के अतिरिक्त होगा तथा उसके अल्पीकरण में नहीं होगा;”

### 3. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

परन्तु यह है कि आवेदक अपने संवैधानिक/संगठनात्मक दस्तावेजों जैसे संगम-ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन समामेलित कंपनी की दशा में) या भागीदारी विलेख (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1952 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी की दशा में) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के संवैधानिक दस्तावेजों के अनुसार विद्युत में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए।

(2) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

“3 पूंजी पर्याप्तता तथा उधारपात्रता अपेक्षाएं:

(क) अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर आवेदक द्वारा प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक तथा अंतःराज्यिक व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए,

आवेदन की तारीख को आवेदक का न्यूनतम नेटवर्थ (शुद्धधन), आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र के अनुसार विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगा:

व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	वर्ष में व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा जिसमें अंतर-राज्यिक व्यापार भी है, जहां-कहीं लागू हो	न्यूनतम शुद्धधन (रु. करोड़ में)
प्रवर्ग I	कोई सीमा नहीं	50.00
प्रवर्ग- II	1500 एमयू से अधिक नहीं	15.00
प्रवर्ग- III	500 एमयू से अधिक नहीं	5.00
प्रवर्ग- IV	100 एमयू से अधिक नहीं	1.00

(ख) आवेदक को हर समय इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट शुद्धधन को बनाए रखा जाना अपेक्षित होगा:

परन्तु यह कि यदि विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी को अंतर-राज्यिक व्यापार के आधार पर 2012-13 के दौरान आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक तथा अंतःराज्यिक व्यापार की मात्रा पर आधारित किसी विशिष्ट प्रवर्ग की नेटवर्थ अपेक्षा को धारित करने की आवश्यकता होती है तो अनुज्ञप्तिधारी 15 नवम्बर, 2012 तक 2012-13 के दौरान व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा के बारे में जानकारी देगा जो 31 अगस्त, 2012 तक विशेष तुलनपत्र द्वारा समर्थित होगा।

(ग) आवेदक के पास आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र की तारीख को न्यूनतम 1:1 का लिक्विडिटी अनुपात होगा।

**टिप्पण:** इस विनियम में विनिर्दिष्ट नेटवर्थ तथा वर्तमान और लिक्विडिटी अनुपात की संगणना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर की जाएगी।

#### 4. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ग) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में यथाउल्लिखित कारणों के लिए आयोग द्वारा आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया गया हो तथा ऐसे रद्दकरण की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष न हुए हों, या "

(2) मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ड.) जहां आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपनियमों या आयोग द्वारा किए गए आदेश के उपबंधों के अनुपालन के लिए किसी कार्यवाही में पहले कभी दोषी पाए गए हों वहां आवेदक ऐसी तारीख से, जिससे समुचित आयोग के आदेश द्वारा अननुपालन साबित हो गया हो, तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से वर्जित हो जाएगा:

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन विनिर्दिष्ट अनहर्ता की अवधि आयोग द्वारा ऐसे अनुपालन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, संगणित की जाएगी।

(3) मूल विनियम के विनियम 4 में नया खंड (च) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"आवेदक या उसके पश्चात् की तारीख को यदि अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंधों का या आयोग के आदेश के अननुपालन के लिए आवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ की गई है, तो आवेदन पर कार्यवाहियों के अंतिम निपटान के पश्चात् ही विचार किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां आवेदक को कार्यवाही में अननुपालन का दोषी पाया जाता है तो वहां आवेदन पर इस विनियम के खंड (ड.) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

**5. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (1) के उप-खंड के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(क) ऐसी फीस, जो समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 या उसके किसी पश्चात्वर्ती अधिनियमन में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से संदेय होगी।

(2) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (1) के उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित व्यक्तियों की दशा में वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां तथा निदेशक की रिपोर्ट सहित संपरीक्षित लेखे, संपरीक्षा रिपोर्ट, उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के लेखाओं संबंधी अनुसूचियों तथा टिप्पणों तथा आवेदन करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 30 दिनों के भीतर आने वाले किसी तारीख के विशेष तुलनपत्र।

(3) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (4) के उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(i) आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र की तारीख को आवेदक का नेटवर्थ, वर्तमान अनुपात तथा नकद अनुपात।

(4) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (4) के उपखंड (घ) के पश्चात्, नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(न) आवेदक के पास अंतःराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति होने की दशा में, शपथपत्र पर एक विवरण तथा उक्त अनुज्ञप्ति के अनुसार (मिलियन यूनिट में) व्यापार की मात्रा के ब्योरे।

**6. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (ख) के दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के उच्चतर प्रवर्ग या निम्नतर प्रवर्ग के लिए अपेक्षित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा यदि वह ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने लिए इन विनियमों की शर्तों को पूरा करता है किन्तु उसे इस विनियमों के विनियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर विनिश्चय करने से पूर्व आयोग द्वारा सुनवाई की जाएगी।

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“परन्तु यह कि जहां इन विनियमों के विनियम 8 के खंड (3) के अनुसार की गई विनियामक संपरीक्षा के आधार पर, यह साबित हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित किया है, वहां आयोग अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी दर पर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ब्याज सहित अधिक मार्जिन वापस करने का निदेश दे सकेगा।”

(3) मूल विनियम 7 के खंड (ड.) में “अनुज्ञप्ति फीस का नियमित संदाय” शब्दों के पश्चात् “अनुबद्ध तारीख तक” शब्द जोड़े जाएंगे।

(4) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

“(त) अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा किए गए सभी व्यापार संव्यवहारों का पृथक रूप से अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए संव्यवहारों के आधार पर, ओटीसी अंतर-राज्यिक संव्यवहारों, ओटीसी अंतर-राज्यिक संव्यवहारों का अद्यतन अभिलेख बनाए रखेगा।”

(5) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (द) के पश्चात्, तीन नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

“(ध) अनुज्ञप्तिधारी नेटवर्क में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट आयोग को शीघ्र किन्तु एक माह से अन्यून के भीतर देगा, जो उस प्रवर्ग, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, में बने रहने के लिए अपात्र बनाती है।

(न) अनुज्ञप्तिधारी आयोग की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपनी अनुज्ञप्ति को किसी भी रीति से अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति को ऐसे व्यक्ति को समनुदेशित कर सकेगा जो वह इन विनियमों के विनियम 3 तथा विनियम 4 की शर्तों को पूरा करता है:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष समुचित आवेदन फाइल करेगा जिसमें उस व्यक्ति के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे जिसे अनुज्ञप्ति अंतरित या समनुदेशित किए जाने का प्रस्ताव है, इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारित करने की पात्रता तथा प्रस्तावित अंतरिती या समनुदेशिती से इस आशय का एक शपथपत्र अंतर्विष्ट होगा कि वह अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों द्वारा आबद्ध होगा तथा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का तथा आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी आदेशों का अनुपालन करेगा:

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी से अपनी अनुज्ञप्ति के अंतरण या समनुदेशन के लिए अपने आवेदन के बारे में दो समाचार पत्रों में, जो दिल्ली के अलावा पांच क्षेत्रों में प्रकाशित हो, एक साथ प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाएगी तथा तीस दिन के भीतर सुझाव/आपत्तियां, यदि कोई हों, के प्रत्युत्तर के साथ प्रकाशन की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(प) अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा जो आयोग के साथ पत्राचार करने के लिए नोडल अधिकारी होगा जो अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम तथा आयोग के विनियमों के उपबंधों से संबंधित सभी मामलों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। अनुज्ञप्तिधारी के पास इन विनियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन करने के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पर्याप्त स्वतंत्रता तथा शक्तियां होंगी।

#### 7. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (1) के उपखंड (ड.) में "लेखांकन विवरणों" शब्दों के स्थान पर, "संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण" शब्द रखे जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (2) के पश्चात्, एक नया खंड (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(3) आयोग, यदि आवश्यक समझे, अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन की जांच के लिए विनियामक संपरीक्षा करने हेतु संपरीक्षाओं और/या विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा तथा ऐसे मामलों में, संपरीक्षा की लागत, आयोग द्वारा संदत्त की जाएगी और जिसे अनुज्ञप्तिधारी से वसूला जाएगा।"

#### 8. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ख) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार अंतःराज्यिक व्यापार, दीर्घ-कालिक व्यापार, क्रॉस सीमा व्यापार तथा बैंकिंग संव्यवहार की बाबत प्रारूप IV-क, IV-ख, IV-ग, IV-घ, IV-ड., IV-च, IV-छ, तथा IV-ज में पृथक रूप मासिक जानकारी देगा ताकि वह उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन के पूर्व आयोग के पास पहुंच सके:

परन्तु यह कि आयोग को भेजी गई जानकारी उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन तक अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी तथा वेबसाइट पर ऐसी रिपोर्ट दो वर्ष से अन्यून के लिए उपलब्ध रहेगी।"

(2) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख) के पश्चात्, तीन नए खंड जोड़े जाएंगे तथा उन्हें खंड (खक), खंड (खख), खंड (खग) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा अर्थात्:

"(खक) जोखिम मानीटरिंग प्रयोजन के लिए प्रारूप IV-1 के अनुसार ओपन स्थिति रिपोर्ट करेगा:

परन्तु ऐसी जानकारी को उसकी वाणिज्यिक संवेदनशीलता पर विचार करते हुए, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

(खख) आगामी सप्ताह के मंगलवार तक प्ररूप IV-ज के अनुसार साप्ताहिक आधार पर ओटीसी संविदा संबंधी जानकारी देगा।

(खग) संव्यवहार की गई मात्रा (एमयू तथा रूपए में) की कुल मात्रा के ब्यौरों सहित अंतर-राज्यिक संव्यवहार तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन, अंतर-राज्यिक संव्यवहार से संव्यवहारित की गई कुल मात्रा (एमयू तथा रूपयों में), पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई कुल मात्रा तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन, किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की कुल संव्यवहार मात्रा तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन तथा उपरोक्त प्रवर्गों में विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संपूर्ण सूची, जो प्रत्येक वर्ष के 31वीं मई तक चार्टर्ड लेखाकार तथा लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित होगी, का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त जानकारी को, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 के अनुपालन के लिए प्ररूप IV-क, IV-ख, IV-ग, IV-घ, IV-ङ, तथा IV-ज के अनुसार संव्यवहार-वार जानकारी के प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूत प्रभाव डाले बिना, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ग) में "अंतर-राज्यिक" शब्दों के पश्चात् "और अंतर-राज्यिक" शब्द जोड़े जाएंगे।

(4) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ग) के पश्चात्, एक नया खंड (गक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(गक) इस विनियम के खंड (ख) से (खग) के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहारों की मानीटरिंग के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 14 में यथापरिभाषित समझे गए व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।"

(5) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (घ) अधीन एक नया उपखंड (व) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(व) जहां अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध किसी विधि के अधीन तात्त्विक भंग के लिए किसी न्यायालय में या अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अतिलंघन या आयोग या राज्य आयोगों के आदेशों तथा निदेशों के अननुपालन के लिए समुचित आयोग के समक्ष कोई कार्यवाही संस्थित की गई हो।"

### 9. मूल विनियम के विनियम 10 संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (2) के पश्चात्, एक नया खंड (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(3) अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर (i) मासिक आधार पर अंतर-राज्यिक तथा अंतर-राज्यिक व्यापार की मात्रा, यदि कोई हो; (ii) उसके द्वारा धारित व्यापार अनुज्ञप्तियां; (iii) आयोग के समक्ष फाइल की गई याचिकाएं तथा उसके ग्राहकों के लिए जानकारी देने को सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा जारी आदेश, जिसमें अंतरिम आदेश भी है, यदि कोई हो, डालेगा।"

### 10. मूल विनियम के विनियम 14 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (छ) के परंतुको को हटा दिया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (छ) के पश्चात् एक नया उपखंड (ज) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(ज) जहां अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के अनुसार देय तारीख तक फीस या उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित अन्य प्रभारों या आयोग द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति का संदाय करने में असफल हो गया हो।"

(3) मूल विनियम के विनियम 14 के विद्यमान खंड (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(2) यदि आयोग का, जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि खंड (1) में यथाउल्लिखित प्रतिसंहरण के लिए कोई भी आधार मौजूद है तथा लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है तो आयोग ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जो समचित समझे जाएं, के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत कर सकेगा :

परन्तु यह कि आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को वह आधार, जिस पर अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने का प्रस्ताव किया गया, बताते हुए तीन मास के अन्धून की सूचना दी हो तथा प्रस्तावित प्रतिसंहत के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी की सूचना अवधि के भीतर बताए गए कारण पर विचार किया हो:

परन्तु यह और कि आयोग अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने के बजाय, अनुज्ञप्ति को ऐसे ओर निबंधन तथा शर्तों, जो आयोग अधिरोपित करने के लिए समुचित समझे, के अधीन रहते हुए, पुनः प्रवृत्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा, तथा इस प्रकार अधिरोपित अतिरिक्त निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तें समझी जाएंगी और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होंगी।

(3) जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने के लिए आवेदन करता है, वहां आवेदन में निम्नलिखित जानकारी तथा दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे:

(क) प्रतिसंहत करने के कारण;



(ख) इस आशय का एक शपथपत्र कि अनुज्ञप्तिधारी ने उस वर्ष, जिस वर्ष प्रतिसंहरण के लिए आवेदन किया गया है, के लिए अनुज्ञप्ति फीस जमा कर दी है, और यह कि अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अननुमोचित दायित्व नहीं है, यह कि उस विद्युत के व्यापार के लिए कोई प्रचालनात्मक संविदाएं नहीं है जिसके लिए आवेदक उक्त आवेदन को फाइल करते समय एक पक्षकार है;

(ग) इस आशय का एक शपथपत्र कि आवेदक ने अपनी वेबसाइट में पूरा आवेदन डाल दिया है तथा आयोग द्वारा आवेदन को निपटाए जाने तक उसे अपनी वेबसाइट में डाले रखेगा।

(घ) ऐसे दस्तावेजे दर्शित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिसंहरण के लिए अपने आवेदन के बारे में दो दैनिक समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित की है जिसका परिचालन दिल्ली में प्रकाशित करने के अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में हो तथा जिसमें इस इकोनॉमिक समाचार पत्र भी है।

(4) जहां आयोग का खंड (3) के अनुसार किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है, तो वहां आयोग ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जैसा वह समुचित समझे, पर संपूर्ण या व्यापार के किसी क्षेत्र के भाग के लिए अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करेगा।

(5) जहां अनुज्ञप्ति इस विनियम के खंड (2) तथा खंड (4) के अधीन प्रतिसंहृत की जाती है, वहां आयोग अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिसंहरण की सूचना की तामील करेगा तथा ऐसी तारीख नियत करेगा जिससे प्रतिसंहरण प्रभावी होगा।

#### 11. मूल विनियम में नए अध्याय का अंतःस्थापन:

(1) विद्यमान अध्याय 5 के पश्चात्, एक नया अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

अध्याय-5क  
उल्लंघन तथा शास्तियाँ

(2) अध्याय 5क के अधीन तीन नए विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

#### \*14क. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन

(1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन तथा आयोग के आदेशों के अननुपालन को दो प्रवर्गों जैसे गंभीर उल्लंघन तथा गैर-गंभीर उल्लंघन के रूप में समूहित किया जाएगा।

(2) गंभीर उल्लंघनों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(क) अधिनियम, नियम तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों का अतिलंघन और अननुपालन, विशेषकर, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्य कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012, केन्द्रीय

विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 तथा समय-समय पर यथासंशोधित तथा उसके किसी पश्चात्पूर्वी संशोधन;

(ख) मासिक रिपोर्ट में संव्यवहार की मात्रा को जानबूझकर कम दिखाया जाना;

(ग) आयोग के आदेशों का अननुपालन, जिसमें आयोग के किसी भी विनियम के उल्लंघन के लिए जारी आदेश भी हैं;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए गैर-गंभीर उल्लंघनों का जानबूझकर, बार-बार तथा लगातार अतिलंघन ।

(ड.) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 में यथाविनिर्दिष्ट देय तारीख के भीतर अनुज्ञप्ति फीस तथा अधिभार, यदि लागू हो, का असंदाय ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित उल्लंघनों को गैर-गंभीर उल्लंघन समझा जाएगा:

(क) इस विनियम के खंड (2) के उपखंड (क) में उल्लिखित किन्हीं भी विनियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित किसी रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना तथा उसमें विलंब ।

(ख) विनियम 9 के खंड (ख) के अधीन मांगी गई मासिक संव्यवहार जानकारी को प्रस्तुत करने में विलंब ।

(ग) आयोग द्वारा मांगी गई किसी अन्य जानकारी को प्रस्तुत करने में विलंब ।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर इन विनियमों के विनियम 9 के खंड (ख) के परंतुक के अनुसार आज्ञापक प्रकटन तथा बार-बार रिपोर्टिंग करने में असफलता ।

#### 14ख. उल्लंघनों पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया:

(1) आयोग, अपने पास उपलब्ध जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह कि विनियम 14क के किसी भी उपबंध के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है, यह समाधान हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध स्वप्रेरणा कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी जानकारी तथा स्पष्टीकरण देने का निदेश दे सकेगा जो कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाए:

परन्तु यह कि यदि अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के अनुसार संदाय की देय तारीख की समाप्ति के सात दिन के भीतर फीस तथा अधिभार, यदि कोई हो, को जमा करने में असफल होता है तो फीस का संदाय न करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी तथा सात दिन की अवधि को इस विनियम के अधीन नोटिस समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि संदाय की देय तारीख के सात दिन की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्ति निलंबित समझी जाएगी तथा तब तक निलंबित रहेगी जब तक फीस और अधिभार, यदि कोई हो, का संदाय नहीं किया जाता है या विलंबन वापस नहीं लिया जाता है ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(3) शास्तियां, यदि कोई हो, इन विनियमों के विनियम 14ग के अनुसार अधिरोपित की जाएंगी।

**14ग. उल्लंघन तथा अननुपालन के लिए शास्तियां:**

(1) जहां अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध गंभीर उल्लंघनों का आरोप साबित हो जाता है वहां आयोग,

(क) यह निदेश दे सकेगा कि प्रत्येक उल्लंघन के लिए अनुज्ञप्तिधारी शास्ति के रूप में एक लाख से अनधिक की राशि का संदाय करेगा;

और/या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक बाजार या मध्यकालिक बाजार या पावर एक्सचेंजों में व्यापार करने से वर्जित कर सकेगा; या

(ग) एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विद्युत में व्यापार करने वाली अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा; या

(घ) अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत कर सकेगा; या

(ड.) ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकेगा या ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो आयोग समुचित समझे:

परन्तु यह कि विवर्जन या निलंबन की दशा में, यथास्थिति, एनएलडीसी या संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी अनुज्ञप्तिधारी के संव्यवहारों की बाबत विद्युत में अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के बारे में समुचित कार्रवाई करेंगे।

(2) जहां अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध गैर-गंभीर उल्लंघन का आरोप साबित हो जाता है, वहां आयोग,

(क) अनुज्ञप्तिधारी को मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, चेतावनी दे सकेगा जो वह उचित समझे; या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप से एक लाख से अनधिक की राशि का संदाय करेगा; या

(ग) ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा या ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो आयोग समुचित समझे।

**12. मूल विनियम के अध्याय VI का अंतःस्थापन:**

(1) "अध्याय VI" को "अध्याय 6" के रूप में पुनःनामित किया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (1) के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:

अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग (तारीख 6.4.2004 की अधिसूचना के अनुसार)	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग (तारीख 24.2.2009 की अधिसूचना के अनुसार)	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग (तारीख 7.6.2010 की अधिसूचना के अनुसार)
एफ (1000 एमयू से अधिक)	I(कोई सीमा नहीं)	I(कोई सीमा नहीं)
ई (700 से 1000 एमयू के बीच)		II (1500 एमयू से अधिक नहीं)
डी (500 से 700 एमयू के बीच)		

सी (200 से 500 एमयू के बीच)	II (500 एमयू से अधिक नहीं)	III (500 एमयू से अधिक नहीं)
बी (100 से 200 एमयू के बीच)		
ए (100 एमयू तक)	III (100 एमयू तक)	IV (100 एमयू से अधिक नहीं)

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/12/असा.]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 28 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किये गये थे तथा उनका निम्नानुसार संशोधन किया गया था :

- (क) तारीख 2-6-2009 को, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2009;
- (ख) तारीख 23-10-2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 197 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009;
- (ग) तारीख 7-6-2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 152 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 ।

प्ररूप IV- क

व्यापार अनुज्ञप्तियों द्वारा विद्युत का अल्पकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार (आरटीसी\*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नाम:  
अनुज्ञप्ति के ब्यारे (सं. तथा तारीख):  
मास:

3873 GI/12-4

क्र.सं.	ऊर्जा परिदान की अवधि		ऊर्जा परिदान का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			क्रय कीमत (रु/केड डब्ल्यूएच)	विक्रय कीमत (रु/के डब्ल्यूएच)	व्यापार मार्जिन (रु/के डब्ल्यूएच)	
	प्रारंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे : मिनट)	अंतिम समय		विक्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य				
क	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार														
1															
2															
3															
ख	स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार														
1															
2															
3															

\*आरटीसी=चौबीस घंटे (24 घंटे 00.00 घंटे से 24.00 घंटे तक)

टिप्पण-(1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।

टिप्पण-(2) क्रेता/विक्रेता, जैसे उत्पादक, कंस्ट्रिक्ट ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक व्यापारी (जहां लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग को उपदर्शित करे ।

टिप्पण-(3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम, कानूनी जानकारी)

टिप्पण-(4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन तक आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा ।

टिप्पण-(5) आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किए जाएंगे अर्थात् सचिव, केविबिआ को स्पष्ट प्रति, एक्सेल शीट में ईमेल के माध्यम से साफ्ट प्रति ।

टिप्पण-(6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

अल्प-कालिक संव्यवहार से

जहां विक्रेता तथा क्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि एक वर्ष तक हो ।

(क)

एक वर्ष तक की संविदा अवधि	एक वर्ष तक की संविदा अवधि
---------------------------	---------------------------

एस

टी

बी

यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है ।

प्ररूप IV- ख

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार (पीक\*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नाम:

अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं. तथा तारीख):

मास:

क्र.सं.	ऊर्जा परिदान की अवधि		ऊर्जा परिदान का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			क्रय कीमत (रु/केड/ल्यूएच)	विक्रय कीमत (रु/केड/ल्यूएच)	व्यापार मार्जिन (रु/केड/ल्यूएच)	
	प्रारंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे : मिनट)	अंतिम समय (घंटे : मिनट)		विक्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य				
अ	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार														
1															
2															
3															
आ	स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार														
1															
2															
3															
ई	सीमा पार संव्यवहार														
1															
2															
3															

\* पीक = पीक अवधि (17.00 घंटे से 23.00 घंटे से पूरा पीक) । पीक अवधि आयोग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकती है ।

टिप्पण-(1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।

टिप्पण-(2) क्रेता/विक्रेता, अर्थात् उत्पादक, कंस्ट्रिक्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, वाणज्यिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, व्यापारी (जब लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग उपदर्शित करें ।

टिप्पण-(3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम: कानूनी जानकारी)

टिप्पण-(4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन को आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा ।

टिप्पण-(5) आंकड़ों को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव, कंविआ को स्पष्ट प्रति तथा ईमेल द्वारा एकजल शीट में साफ्ट प्रति ।

टिप्पण-(6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

अल्प-कालिक संव्यवहार से

जहां विक्रेता तथा क्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष तक हो ।

(क)



यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है ।

प्रकार IV- ग

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार (पीक तथा आरटीसी से भिन्न)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नाम:

अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं. तथा तारीख):

मास:

क्र. सं.	ऊर्जा परिदान की अवधि		ऊर्जा परिदान का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			क्रय कीमत (₹/के.डब्ल्यूएच)	विक्रय कीमत (₹/के.डब्ल्यूएच)	व्यापार मार्जिन (₹/के.डब्ल्यूएच)	
	प्रारंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे : मिनट)	अंतिम समय (घंटे : मिनट)		विक्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य				
अ	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार														
1															
2															
3															
आ	स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार														
1															
2															
3															
इ	सीमा पार संव्यवहार														
1															
2															
3															

टिप्पण-(1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलया जाना चाहिए ।

टिप्पण-(2) क्रेता/विक्रेता, अर्थात् उत्पादक, कंस्ट्रिक्ट ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, वाणज्यिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, व्यापारी (जब लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग उपदर्शित करें ।

टिप्पण-(3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम: कानूनी जानकारी)

टिप्पण-(4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन को आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा ।

टिप्पण-(5) आंकड़ों को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव, केविविआ के स्पष्ट प्रति तथा ईमेल द्वारा एक्सल शीट में साफ्ट प्रति ।

टिप्पण-(6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

अल्प-कालिक संव्यवहार से

जहां विक्रेता तथा क्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की सविदा की अवधि 1 वर्ष तक हो ।

(क)



यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है ।

## व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के दीर्घ-कालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार

प्रत्येक IV-घ

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नाम:

अनुज्ञप्ति के ध्यौरे (सं. तथा तारीख):

मास:

क्र.सं.	ऊर्जा परिधान की अवधि		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			विक्रय कीमत (रु/केडब्ल्यू एच)
	प्राथमिक तारीख (दिन/ मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/ मास/वर्ष)		विक्रेता का नाम	का प्रवर्ग	राज्य	क्रेता का नाम	का प्रवर्ग	राज्य	
अ	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार									
1										
2										
3										
आ	स्वोपेग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार									
1										
2										
3										
ई	सीमा पार संव्यवहार									
1										
2										
3										

टिप्पण-(1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

टिप्पण-(2) क्रेता/विक्रेता, अर्थात् उत्पादक, कौटिल्य ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, वाण्यजिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, व्यापारी (जब लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग उपलब्ध करे।

टिप्पण-(3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर उल्ला जाएगा जिसमें (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम: कानूनी जानकारी होगी)

टिप्पण-(4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन आयोग, प्रादेशिक मार प्रेषण केंद्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा।

टिप्पण-(5) आंकड़ों को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव, केबिबिआ को स्पष्ट प्रति तथा ईमेल द्वारा एकसल शीट में साफ्ट प्रति।

टिप्पण-(6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा।

अल्प-कालिक संव्यवहार से

(क) जहां विक्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है ति विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है

(ख) जहां विक्रेता तथा क्रेता दोनों के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है

(ग) जहां विक्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष तक तथा विक्रेता के साथ 1 वर्ष से अधिक है।

(क)



(ख)



(ग)



यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है।



3873 GI/12-5

प्ररूप IV- ड.

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक अंतःराज्यिक संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम  
मास

क्रम सं.	कुल संव्यहारित मात्रा (एमयू)	राज्य
अल्प-कालिक संव्यवहार		
1		
2		
3		
4		
दीर्घ-कालिक संव्यवहार		
1		
2		
3		
4		

टिप्पण-(1) कुल संव्यहारित मात्रा का प्रत्येक राज्य के भीतर सभी संव्यवहारों की लिए योग किया जाएगा  
टिप्पण-(2) इन संव्यवहारों के पक्षकारों के तथा कीमत की आवश्यकता नहीं है

अल्प-कालिक संव्यवहार से

(क) जहां अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि क्रेता तथा विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है



(ख) जहां विक्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा अवधि 1 वर्ष से अधिक है ति विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है  
(ख) जहां विक्रेता तथा क्रेता दोनों के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है  
(ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक तथा क्रेता के साथ 1 वर्ष से अधिक है।



यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है।

प्ररूप IV- च

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के आगे के दिन के पावर एक्सचेंज संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नाम:  
मास:

क्रम सं.	परिदान की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रत्येक ग्राहक के लिए कुल अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत	
			विक्रेता का नाम/पीएक्स का नाम	राज्य	विक्रेता का नाम/पीएक्स का नाम	राज्य
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

टिप्पण: प्रत्येक 15 मिनट संविदा के लिए व्यापार मार्जिन पृथक रूप से प्रभारित किया जाएगा। तथापि, आंकड़ों की वृहत मात्रा को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग दैनिक-वार आधार पर की जाएगी।

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	आईइएक्स		पीएक्सआईएल	
		प्रभारित मार्जिन जब एमसीपी रु.3/केडब्ल्यूएच से कम हो या उसके बराबर हो (रु/केडब्ल्यूएच)	प्रभारित मार्जिन जब एमसीपी रु.3/केडब्ल्यूएच से अधिक हो (रु/केडब्ल्यूएच)	प्रभारित मार्जिन जब एमसीपी रु.3/केडब्ल्यूएच से कम हो या उसके बराबर हो (रु/केडब्ल्यूएच)	प्रभारित मार्जिन जब एमसीपी रु.3/केडब्ल्यूएच से अधिक हो (रु/केडब्ल्यूएच)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

प्ररूप IV- छ

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के आगे की अवधि के पावर एक्सचेंज के संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नाम:  
मास:

क्रम सं.	पावर एक्सचेंज का नाम (आईईएक्स/पीएक्सआइएल)	ऊर्जा परिधान की अवधि		ऊर्जा परिधान का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत		संव्यवहार कीमत (रु./केडब्ल्यू)	व्यापार मार्जिन (रु./केडब्ल्यू)
		प्रारंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख(दिन/मास/वर्ष)	आरंभिक समय (घंटे:समय)	अंतिम समय (घंटे:समय)		विक्रेता का नाम	राज्य	क्रेता का नाम	राज्य		
क	दिन की संविदाएं (इंद्रा डे)											
1												
2												
3												
ख	आगे के दिन की आकस्मिक संविदाएं											
1												
2												
3												
ग	दैनिक संविदाएं											
1												
2												
3												
घ	साप्ताहिक संविदाएं											
1												
2												
3												

टिप्पण: पावर एक्सचेंज पर किसी अन्य संविदा को भी जब कभी वह आरंभ की गई हो, सम्मिलित किया जाना चाहिए।

प्ररूप IV- ज

व्यापार अनुज्ञप्तिधारितियों द्वारा पावर एक्सचेंज पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) व्यापार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नाम:  
व्यापार की तारीख: मास/दिन/वर्ष

क्रम सं.	आरईसी ग्राहक का नाम	ग्राहक का प्रकार (नवीकरणीय उत्पादक/बाधित इकाइयों)	पावर एक्सचेंज का नाम	मात्रा (आरईसी)	व्यापार समाशोधन कीमत (रु./आरईसी)	व्यापार मार्जिन (रु./केडब्ल्यूएच)
गैर सौर आरईसी						
1						
2						
3						
4						
सौर आरईसी						
1						
2						
3						
4						

टिप्पण: 1 आरईसी = 1 एम डब्ल्यू एच

प्ररूप IV-I

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अंतर-राज्यिक विद्युत संविदाओं की खुली स्थिति

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नाम:

मास:

व्यापारी की दीर्घ-कालिक स्थिति (क्रय किन्तु जो विक्रीत नहीं है)				
क्रम सं.	संविदा की अवधि (दिन/मास/वर्ष)	असंविदागत अवधि (खुली स्थिति) दिन/मास में	असंविदागत मात्रा (एमयू)	क्रय कीमत (रू./केडब्ल्यूएच)*
1				
2				
3				
4				

व्यापारी की अल्प-कालिक स्थिति (विक्रय जो क्रय नहीं हो)				
क्रम सं.	संविदा की अवधि (दिन/मास/वर्ष)	असंविदागत अवधि (खुली स्थिति) दिन/मास में	असंविदागत मात्रा (एमयू)	क्रय कीमत (रू./केडब्ल्यूएच)*
1				
2				
3				
4				

टिप्पण:

1. खुली प्रास्थिति रिपोर्ट को मास के अंत में पंद्रहवें दिन तक मासिक आधार पर रिपोर्ट किए जाएंगे।

2. यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती।

\*प्रत्येक संविदा के लिए कीमत पृथक् रूप से दी जानी है।

प्ररूप IV- जे

अंतर-राज्यिक बाजार में विद्युत व्यापारियों द्वारा निष्पादित आवर दि काउंटर (ओटीसी) संविदाओं के ब्यौरे

संविदा सप्ताह	से	तक
	दिन/मास/वर्ष	दिन/मास/वर्ष

क्रम सं.	संविदा तारीख	क्रय कीमत	विक्रय कीमत	संविदागत मात्रा	संविदा की अवधि		निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत		
	दिन/मास/वर्ष	(रु./केडब्ल्यूएच)	(रु./केडब्ल्यूएच)	(एमयू)	ऊर्जा अनुसूची आरंभिक तारीख (दिन /मास/वर्ष)	ऊर्जा अनुसूची अंतिम तारीख (दिन /मास/वर्ष)	नाम	राज्य	नाम	राज्य	
क	चौबीस घंटे										
1											
2											
ख	व्यस्ततम										
1											
2											
ग	आरटीसी तथा व्यस्ततम से भिन्न										
1											
2											

टिप्पण: आयोग की स्वप्रेरणा यचिका सं. 155/2010 तारीख 14.5.2010 के आदेश के अनुसार आरंभ किए गए तथा अगले सप्ताह के मंगलवार तक साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट किए जाने हैं ।

3873 GE/12-6

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th October, 2012

**No. L-7/143/158/2012-CERC.**—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely :—

**1. Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2012.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of Regulation 2 of Principal Regulations:**

(1) Sub-clause (g) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(g) ‘**economic offence**’ means an offence under any of the statutes listed in the Schedule to the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Act, 1974 (12 of 1974);”

(2) Sub-clause (k) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(k) ‘**inter-State trading**’ means purchase of electricity from one State for re-sale in another State and includes electricity imported from any other country for re-sale within India or exported to any other country subject to compliance with applicable laws and clearance by appropriate authorities.

(3) A new sub-clause (ki) shall be inserted after sub-clause (k) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations as under, namely:

“(ki) ‘intra-State trading’ means purchase of electricity for re-sale within the territory of the same State;”

(4) Sub-clause (m) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(m) ‘licensee’ means a person who has been granted licence for inter-State trading under section 14 of the Act:

Provided that if any licensee undertakes intra-State trading based on the licence for inter-State trading granted by the Commission, the licensee shall be regulated under these regulations for the purposes as specified which shall be in addition to and not in derogation of any regulations on intra-State trading specified by the concerned State Commission;”

### 3. Amendment of Regulation 3 of Principal Regulations:

(1) A proviso shall be added to Clause (1) of Regulation 3 of the Principal Regulations, namely:

“Provided that the applicant should have been authorized to undertake trading in electricity in accordance with its constitutional/organizational documents such as the Main Objects in the Memorandum of Association (in case of a company incorporated under the Companies Act, 1956) or the Partnership Deed (in case of a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932) or the constitutional documents of Limited Liability Partnerships under Limited Liability Partnership Act, 2008”.

(2) Clause 3 of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(3) Capital Adequacy and Liquidity Requirements:

(a) Considering the volume of inter-State and intra-State trading proposed to be undertaken by the applicant on the basis of the inter-State trading licence, the minimum net worth of the applicant on the date of application, as per audited special balance sheet accompanying the application, shall not be less than the amounts specified hereunder:

Category of the Trading Licence	Volume of electricity proposed to be traded in a year including intra-State trading, where applicable	Minimum Net Worth (Rs. In crore)
Category I	No Limit	50.00
Category II	Not more than 1500 MUs	15.00
Category III	Not more than 500 MUs	5.00
Category IV	Not more than 100 MUs	1.00

(b) An applicant shall be required to maintain the networth as specified in this clause at all times:

Provided that if an existing licensee is required to possess the networth requirement of any particular category based on the volume of inter-State and intra-State trading proposed to be undertaken during 2012-13 on the basis of the inter-State trading licence, the licensee shall furnish by 15<sup>th</sup> of November 2012, the information about the volume of electricity proposed to be traded during 2012-13 supported by special balance sheet as on 31<sup>st</sup> August 2012.

(c) The applicant shall have minimum current ratio of 1:1 and liquidity ratio of 1:1 on the date of audited special balance sheet accompanying the application.

**Note:** The net worth and the current and liquidity ratios specified in this regulation shall be computed on the basis of the audited balance sheet prepared in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956.

#### 4. Amendment of Regulation 4 of the Principal Regulations

(1) Clause (c) of Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(c) An order revoking the licence of the applicant, or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors, has been passed by the Commission for the reasons mentioned in sub-section (1) of section 19 of the Act and a minimum period of three years has not passed from the date of such revocation ; or”

(2) Clause (e) of the Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:



“(e) Where an applicant or any of his associates or partners or promoters or Directors has in the past been found guilty in any proceedings for non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or an order made by the Commission, the applicant shall be debarred from applying for trading licence for a maximum period of three years from the date such non-compliance was established by an order of the Appropriate Commission:

Provided further that the period of disqualification specified under this clause may be commuted by the Commission depending on the gravity of such non-compliance; or”

(3) A new clause (f) shall be added to Regulation 4 to the Principal Regulations as under, namely:

“On the date of application or thereafter, if any proceeding for non-compliance of any provision of the Act, or the Rules or the Regulations framed thereunder or for non-compliance of the order of the Commission is initiated against the applicant, the application shall be considered after the final disposal of the proceedings:

Provided that where the applicant is found guilty of non-compliance in the proceeding, its application shall be dealt with in accordance with Clause (e) of this regulation.

#### 5. Amendment of Regulation 6 of the Principal Regulations

(1) Sub-clause (a) of clause (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(a) such fee as may be prescribed by the Central Government from time to time and payable through NEFT/ RTGS only as per the procedure specified in Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012 or any subsequent enactment thereof.”

(2) Sub-clause (b) of clause (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(b) Copies of the annual reports in case of the persons incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and audited accounts along with the Directors' Report, Auditors' Report, the Schedules and notes on accounts for one year immediately preceding the year in which the application has been made and the special balance sheet as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of making the application.”

(3) Sub-clause (i) of clause (4) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(i) Net worth, current ratio and liquidity ratio of the applicant as on the date of the audited special balance sheet accompanying the application;”

(4) A new sub-clause (t) shall be added after sub-clause (s) of clause (4) of Regulation 6 of the Principal Regulations, as under, namely:

“(t) A statement on affidavit in case the applicant is in possession of any intra-State trading licence and the details of the volume of trading allowed (in Million Units) as per the said licence.”

#### **6. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations**

(1) The following proviso shall be added after the second proviso to clause (b) of Regulation 7 of the Principal Regulations, namely:

“Provided also that a licensee may make an appropriate Application accompanied by prescribed fees for upgradation of its licence to a higher category or downgradation of its licence to a lower category if it fulfills the conditions of these regulations for grant of such licence but it shall not be required to follow the procedure specified in Regulation 6 of these regulations:

Provided further that the licensee shall be heard by the Commission before taking a decision on the application.”

(2) The following proviso shall be added after clause (c) of Regulation 7 of the Principal Regulations, namely:

"Provided that where it is established on the basis of regulatory audit carried out in accordance with clause (3) of Regulation 8 of these regulations that the licensee has charged trading margin above the ceiling specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010, the Commission may direct disgorgement of excess margin along with interest, at the rate as may be specified by the Commission, after giving an opportunity of hearing to the licensee."

(3) In clause (m) of Regulation 7 of the Principal Regulations, after the words "pay the licence fee", the words "by the stipulated date" shall be added.

(4) Clause (p) of Regulation 7 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(p) The licensee shall maintain up to date record of all trading transactions undertaken by him, separately for OTC inter-State transactions, OTC intra-State transactions, if any, made on the basis of inter-State trading licence and transactions through the power exchange."

(5) Three new clauses shall be added after clause (r) of Regulation 7 of Principal Regulations as under, namely:

"(s) The licensee shall immediately but not later than one month report to the Commission any change in the networth which makes it ineligible to continue in the category for which the licence has been granted.

(t) The licensee shall not at any time transfer or assign its licence in any manner without the prior approval of the Commission:

Provided that the licensee can transfer or assign its licence only to such person who fulfills the conditions of Regulations 3 and 4 of these regulations with prior approval of the Commission:

Provided further that the licensee shall make an appropriate application before the Commission containing the details of the person to whom the licence is proposed to be transferred or assigned, its eligibility to hold the licence under these regulations and an affidavit from the proposed transferee or assignee that it will abide by the terms and conditions of licence and comply with the provisions of the Act, Rules and regulations made thereunder and the orders of the Commission as may be issued from time to time:

Provided also that the licensee shall be required to publish in brief in two daily newspapers having circulation in each of the five regions in addition to those published from Delhi, including one economic daily newspaper about its application for transfer or assignment of its licence and invite suggestions/objections within 30 days and submit the copies of the publication along with its response to the suggestions/objections, if any, within 45 days from the date of publication.

(u) The licensee shall designate one of its officers as Compliance Officer who shall be the nodal officer for communication with the Commission and shall be responsible for compliance with all matters pertaining to the terms and conditions of the licence, the provisions of the Act and the regulations of the Commission. The licensee shall vest adequate freedom and powers in its Compliance Officer for the effective discharge of his duties under these regulations."

#### **7. Amendment of Regulation 8 of Principal Regulations**

(1) In sub-clause (e) of clause (1) of Regulation 8 of Principal Regulations, the words "accounting statement" shall be substituted with the words "audited annual financial statement".

(2) A new clause (3) shall be added after clause (2) of Regulation 8 of the Principal Regulations as under, namely:

“(3) The Commission may, if considered necessary, appoint auditors and/or experts to carry out regulatory audit to investigate into the compliance of the terms and conditions of the licence by the licensee in accordance with Section 128 of the Act and in such cases, the cost of audit shall be paid by the Commission and recovered from the licensee.”

#### 8. Amendment of Regulation 9 of Principal Regulations

(1) Clause (b) of Regulation 9 of Principal Regulations shall be substituted as under:

“(b) furnish monthly information in Forms IV-A, IV-B, IV-C, IV-D, IV-E, IV-F, IV-G and IV-H in respect of inter-State trading, intra-State trading, trading through power exchanges and long term trading, cross border trading and banking transactions so as to reach the Commission before 15<sup>th</sup> of the succeeding month:

Provided that the information sent to the Commission shall be posted on the website of the licensee by 15<sup>th</sup> of the succeeding month, and such report shall be available on the website for not less than two years.”

(2) Three new clauses shall be added after clause (b) of Regulation 9 of Principal Regulations and shall be numbered as clauses (ba), (bb) and (bc) as under, namely:

“(ba) Submit open position report on a monthly basis as per Form IV-I for risk monitoring purpose:

Provided that information involving commercial confidence shall not be accessible to the members of the public.

(bb) Submit information regarding OTC Contracts on weekly basis as per Form IV-J by Tuesday of the following week.

(bc) Submit annual return of inter-State transactions detailing total volume transacted (in MU and Rupees) and the total trading margin charged thereon, total volume transacted in intra-State transactions (in MU and Rupees), total volume

transacted on Power Exchange and the total trading margin charged thereon, total volumes of Renewable Energy Certificates transacted and margin charged thereon and complete list of Buyers and Sellers in the above categories, certified by Chartered Accountant or Cost Accountant by 31<sup>st</sup> May every year:

Provided that the above information shall be submitted by the licensee without prejudice to the submission of transaction wise information as per Forms IV-A, IV-B, IV-C, IV-F, IVG and IV-H for compliance of Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010.

(3) The words "and intra-State" shall be added after the word "inter-State" in clause (c) of Regulation 9 of Principal Regulations.

(4) A new clause (ca) shall be added after the clause (c) of Regulation 9 of Principal Regulations, namely:

"(ca) The information as required under clauses (b) to (bc) of this regulation shall also be furnished by the deemed trading licensees as defined in section 14 of the Act for the purpose of monitoring inter-State trading transactions;"

(5) A new sub-clause (v) shall be added under clause (d) of Regulation 9 of the Principal Regulations as under, namely:

"(v) Where any proceeding has been initiated in any court of law against the licensee for material breach of any law or before the Appropriate Commission for contravention of the Act, the Rules and Regulations made thereunder or non-compliance with the orders and directions of the Commission or of the State Commissions."

#### **9. Amendment of Regulation 10 of the Principal Regulations**

(1) A new clause (3) shall be added after clause (2) of the Principal Regulations, namely:

“(3) The licensee shall display on its website (i) the volume of inter-State and intra-State trading, if any, on monthly basis ; (ii) trading licences held by it; (iii) petitions filed before the Commission and the orders including interim orders, if any, issued by the Commission to ensure dissemination of information to its clients.”

#### 10. Amendment of Regulation 14 of the Principal Regulations

(1) The Provisos to sub-clause (g) of clause (1) of Regulation 14 shall be deleted.

(2) A new sub-clause (h) shall be added after sub-clause (g) of clause (1) of Regulation 14 of the Principal Regulations, namely:

“(h) Where the licensee has failed to pay the fees by the due date as per the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2012 or other charges required by its licence or any penalty imposed by the Commission;”

(3) The existing clauses (2) and (3) of Regulation 14 of Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

“(2) If the Commission, after making an enquiry, is satisfied that any of the grounds for revocation as mentioned in clause (1) exists and public interest so requires, the Commission may revoke the licence subject to such terms and conditions as may be deemed appropriate:

Provided that the Commission has given a notice of not less than three months to the licensee stating the grounds on which it is proposed to revoke the licence and has considered the cause shown by the licensee within the period of notice against the proposed revocation:

Provided further that the Commission may, instead of revoking the licence, permit the licence to remain in force subject to such further terms and conditions as the Commission may consider appropriate to impose, and any further terms and

conditions so imposed shall be deemed to be terms and conditions of the licence and shall be binding on the licensee.

(3) Where the licensee makes an application for revocation of licence, the application shall contain the following information and documents:

- (a) reasons for seeking revocation;
- (b) an affidavit to the effect that the licensee has deposited the licence fee for the year in which revocation is sought; that there are no undischarged liabilities against the licensee; that there are no operative contracts for trading of electricity to which the applicant is a party at the time of filing the said application;
- (c) an affidavit to the effect that the applicant has posted the complete application on its website and shall keep the application uploaded on its website till its disposal by the Commission;
- (d) documents showing that the licensee has published the notice about its application for revocation in two daily newspapers having circulation in each of the five regions in addition to those published from Delhi including one economic newspaper;

(4) Where the Commission, after considering the application made in accordance with clause (3), is satisfied that public interest so requires, the Commission shall revoke the licence, as to the whole or any part of the area of trading upon such terms and conditions as the Commission may consider appropriate;

(5) Where the licence is revoked under clauses (2) and (4) of this regulation, the Commission shall serve a notice of revocation on the licensee and fix a date from which revocation shall take effect."

#### **11. Insertion of new chapter in the Principal Regulation**

(1) A new Chapter shall be inserted after the existing Chapter 5 as under, namely:



**CHAPTER-5 A****CONTRAVENTION AND PENALTIES"**

(2) Three new Regulations shall be made under Chapter 5A as under, namely:

**"14 A. Contravention by Licensee**

(1) Contraventions of the provisions of the Act, Rules and Regulations framed thereunder and non-compliance of the orders of the Commission by a licensee shall be grouped under two categories such as serious contraventions and non-serious contraventions.

(2) Serious contraventions shall cover the following:

(a) Violations and non-compliance of the provisions of the Act, Rules and the Regulations specified by the Commission, particularly, Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2009, Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010, Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010 and as amended from time to time or any subsequent amendment thereof;

(b) Deliberate under-reporting of transaction volume in monthly reporting;

(c) Non-compliance of the orders of the Commission including the orders issued for contravention of any regulation of the Commission;

(d) any willful, repeated and persistent violation of non-serious contraventions committed by the licensee.

(e) Non-payment of the licence fees and surcharge if applicable within the due date as specified in Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012.

(3) The following contraventions by a licensee shall be treated as non-serious contravention:

- (a) non-submission or delay in submission of any report required to be submitted by the licensee under any of the regulations mentioned in sub-clause (a) of clause (2) of this regulation;
- (b) delay in submission of monthly transaction information sought under clause (b) of Regulation 9;
- (c) delay in submission of any other information sought by the Commission ;
- (d) failure to make mandatory disclosures or reporting in accordance with the proviso to clause (b) of Regulation 9 of these regulation on licensee's website ;

#### 14 B. Procedure for taking cognizance of the contraventions

(1) The Commission, on being satisfied on the basis of the information in its possession or on the basis of the information submitted by any person that a prima facie case exists against any licensee under any of the provisions of Regulation 14A, shall initiate suo-motu proceedings against the licensee and shall direct the licensee to submit such information and explanation as may be considered necessary for the purpose of the proceeding;

Provided that proceedings for non-payment of fee shall be initiated if the licensee fails to deposit the fees and surcharge, if any, within seven days of the expiry of due date of payment as per the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee)

Regulations, 2012 and the seven days period shall be deemed to be a notice under this regulation:

Provided further that the licence shall be deemed to be suspended after expiry of seven days from the due date of payment and shall remain suspended till the payment of fees and surcharge, if any, is made or suspension is withdrawn.

(2) No penalty shall be imposed on the licensee without giving an opportunity of hearing.

(3) The penalties if any shall be imposed in accordance with Regulation 14C of these regulations.

#### 14 C. Penalties for Contravention and non-compliance

(1) Where the charge of serious contraventions is established against the licensee, the Commission may:

(a) direct that the licensee shall pay, by way of penalty, a sum which shall not exceed rupees one lakh for each contravention;

and /or

(b) debar the licensee, from trading in short term market or medium term market or through power exchanges for a period not exceeding one year; or

(c) suspend the licence for trading in electricity for a period not exceeding one year; or

(d) revoke the licence of the licensee; or

(e) issue such other directions or impose such other condition as the Commission may deem appropriate.

Provided that in case of debarment or suspension, NLDC or concerned RLDC or SLDC, as the case may be, shall take appropriate action with regard to scheduling and despatch of electricity in respect of the transactions of the licensee.

- (2) Where the charge of non-serious contravention has been established against the licensee, the Commission may:
- give warning to the licensee subject to such conditions as may be deemed fit in the facts and circumstances of the case; or
  - direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum which shall not exceed rupees one lakh; or
  - issue such other directions or impose such other conditions as the Commission may deem appropriate"

**12. Amendment of Chapter-VI of the Principal Regulations:**

- "Chapter VI" shall be renamed as "Chapter 6";
- The table under clause (1) of Regulation 15 shall be substituted as under:

Category of Licence (As per Notification dated 6.2.2004)	Category of Licence (As per Notification dated 24.2.2009)	Category of Licence (As per Notification dated 7.6.2010)
F (Above 1000 MUs)	I (No limit)	I (No limit)
E (between 700 and 1000 MUs)		II (Not more than 1500 MUs)
D (between 500 and 700 MUs)		
C (between 200 and 500 MUs)	II (Not more than 500 MUs)	III (Not more than 500 MUs)
B (between 100 and 200 MUs)		
A (Upto 100 MUs)	III (Upto 100 MUs)	IV (Not more than 100 MUs)

RAJIV BANSAL, Secy.  
[ADVT. III/4/150/12/Exty.]

**Note :** Principal Regulations were published on 24-2-2009 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 28 and amended in terms of :

- Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4, dated 2-6-2009;
- Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4, No. 197 dated 23-10-2009; and
- Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2010 published in Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4, No. 152, dated 7-6-2010.

3873 (G) 12-10

Form IV-A

**Short-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees ( RTC\* )**

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date) :

Month:

Sr.No	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Sold to			Purchase Price (₹/Kwh)	Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of the Seller	Category	State	Name of the Buyer	Category	State			
<b>A Inter State Trading Transactions</b>														
1														
2														
3														
<b>B Inter State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement</b>														
1														
2														
3														
<b>C Cross Border Transactions</b>														
1														
2														
3														

\*RTC= Round The Clock (24 Hours i.e. from 00:00 to 24:00)

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

**Short Term Transaction means**

where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year

(a)



Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer.

**Short-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees ( Peak\* )**

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date) :

Month:

Sr.No	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Sold to			Purchase Price (₹/Kwh)	Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of the Seller	Category	State	Name of the Buyer	Category	State			
<b>A Inter State Trading Transactions</b>														
1														
2														
3														
<b>B Inter State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement</b>														
1														
2														
3														
<b>C Cross Border Transactions</b>														
1														
2														
3														

\*Peak= Peak Period (Evening Peak from 17 :00hrs to 23 :00hrs). Peak period may be revised by the Commission from time to time

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

**Short Term Transaction means**

where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year

(a)



Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer.

**Short-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees ( Other than Peak & RTC)**

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date) :

Month:

Sr.No	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Sold to			Purchase Price (₹/Kwh)	Sale Price (₹/kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of the Seller	Category	State	Name of the Buyer	Category	State			
<b>A Inter State Trading Transactions</b>														
1														
2														
3														
<b>B Inter State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement</b>														
1														
2														
3														
<b>C Cross Border Transactions</b>														
1														
2														
3														

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader or any other authorised website (Name of the link on the home page: Statutory Information)

Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

**Short Term Transaction means**

where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year



Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer.

Form IV-D

**Long-term Inter-State Transactions of Electricity by Trading Licensees**

Name of the Trading Licensee:

Licence Details (No & Date) :

Month:

Sr.No	Period of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from			Sold to			Sale Price (₹/kwh)
	Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)		Name of the Seller	Category	State	Name of the Buyer	Category	State	
<b>A</b>	Inter State Trading Transactions									
1										
2										
3										
<b>B</b>	Inter State Trading Transactions through Swapping or Banking Arrangement									
1										
2										
3										
<b>C</b>	Cross Border Transactions									
1										
2										
3										

Note: (1) Data shall be submitted transaction-wise and should not be aggregated.

Note: (2) Indicate the names and the category of the seller/buyer namely generator, captive power plant, distribution licensee, Government, industrial open access consumer, commercial open access consumer, trader (when applicable) etc.

Note: (3) Data shall be posted on the website of the electricity trader with link on the home page as statutory information


Note: (4) Data shall be submitted on a monthly basis by 15th of the following month to the Commission, Regional Load Dispatch Centre and Regional Power Committee

Note: (5) Data shall be submitted to the Commission i.e. hard copy to Secretary, CERC and soft copy in an Excel Sheet by E-mail:

Note: (6) Full form of the abbreviations used for Name of the Seller/Buyer etc. shall be provided at the end of the Table.

**Long Term transaction means**

- (a) where period of contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year
- (b) where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is more than 1 year
- (c) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year



Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer.



3873 GI/12-11

Form IV-E

**Intra-State Transactions of Electricity by Trading Licensees**

Name of the Trading Licensee:

Month:

Sr. No.	Total Transacted Volume (Mus)	State
<b>Short Term transactions</b>		
1		
2		
3		
4		
<b>Long Term Transactions</b>		
1		
2		
3		
4		

Note: (1) Total Transacted Volume shall be aggregated for all transactions within each state

Note: (2) Name of the parties and the price of these transactions are not required.

**Short Term Transaction means**

(a) where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is up to 1 year

(a)



**Long Term transaction means**

(a) where period of contract of the licensee with the seller is more than 1 year and with the buyer is up to 1 year

(b) where period of contract of the licensee with both the seller and the buyer is more than 1 year

(c) where period of the contract of the licensee with the seller is up to 1 year and with the buyer is more than 1 year

(a)



(b)



(c)



Where S stands for Seller, T stands for Trader and B stands for Buyer.

Form IV-F

**Day Ahead Power Exchange Transactions of Electricity by Trading Licensees**

Name of the Trading Licensee:

Month:

Sr.No	Date of Delivery (DD/MM/YYYY)	Total Scheduled Volume (MUs) for each client	Purchased from		Sold to	
			Name of Seller/ Name of PX	State	Name of Buyer / Name of PX	State
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Note: Trading Margin shall be charged for each 15 minutes contract separately. However, the reporting shall be made on daywise basis inlight of the large volume of data.

Sr.No	Name of the Client	IEX		PXIL	
		Margin charged when MCP is lesser than or equal to ₹3/Kwh (₹/Kwh)	Margin charged when MCP is greater than ₹3/Kwh (₹/Kwh)	Margin charged when MCP is lesser than or equal to ₹3/Kwh (₹/Kwh)	Margin charged when MCP is greater than ₹3/Kwh (₹/Kwh)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

3873 GI/12-12

Form IV-G

**Term Ahead Power Exchange Transactions of Electricity by Trading Licensees**

Name of the Trading Licensee:

Month:

Sr.No	Name of Power Exchange (IEX/PXIL)	Period of Power Delivery		Time of Power Delivery		Scheduled Volume (MUs)	Purchased from		Sold to		Transaction Price (₹/Kwh)	Trading Margin (₹/kwh)
		Start date (DD/MM/YYYY)	End date (DD/MM/YYYY)	Start Time (HH:MM)	End Time (HH:MM)		Name of Seller	State	Name of Buyer	State		
<b>A</b>	<b>Intra-Day Contracts</b>											
1												
2												
3												
<b>B</b>	<b>Day-Ahead Contingency Contracts</b>											
1												
2												
3												
<b>C</b>	<b>Daily Contracts</b>											
1												
2												
3												
<b>D</b>	<b>Weekly Contracts</b>											
1												
2												
3												

Note: Any other Contract on the Power Exchange should be included as and when it introduced.

## Form IV-H

**Renewable Energy Certificates(REC) Trading on Power Exchange by Trading Licensees**

Name of the Trading Licensee:

Date of Trading: DD/MM/YYYY

Sr. No.	Name of REC Client	Client Type (Renewable generator/ Obligated Entities)	Name of Power Exchange	Volume (RECs)	Market Clearing Price (₹/REC)	Trading Margin (₹/KWh)
<b>Non Solar RECs</b>						
1						
2						
3						
4						
<b>Solar RECs</b>						
1						
2						
3						
4						

Note: 1 REC = 1 MWh

## Form IV-I

**Open Position of Inter-State Electricity Contracts by Trading Licensees**

Name of the Trading Licensee:

Month:

Long Position of Trader (Purchased but not sold)				
Sr.No	Date of Contract (DD/MM/YYYY)	Uncontracted tenure ( open position ) in Days/Months	Uncontracted Volume (MUs)	Purchase Price (₹/kwh)*
1				
2				
3				
4				

Short Position of Trader (Sale but not purchased)				
Sr.No	Date of Contract (DD/MM/YYYY)	Uncontracted tenure ( open position ) in Days/Months	Uncontracted Volume (MUs)	Sale Price (₹/kwh)*
1				
2				
3				
4				

Note:

1. Open position report is to be reported on a monthly basis by 15th of end of the month
2. This report will not be published in public domain.

\* Price has to be reported separately for each contract.

Form IV-J

Details of Over the Counter (OTC) Contracts Executed by Electricity Traders in Inter-State Market

Contracted Week	From	To
	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy

Sr. No.	Contract Date	Purchase Price	Sale Price	Contracted Quantity	Period of Contract		Purchased from		Sold To	
	(dd/mm/yyyy)	(Rs/Kwh)	(Rs/Kwh)	(MU)	Power Schedule Start Date (dd/mm/yyyy)	Power Schedule End Date (dd/mm/yyyy)	Name	State	Name	State
<b>A</b>	<b>ROUND THE CLOCK</b>									
1										
2										
<b>B</b>	<b>PEAK</b>									
1										
2										
<b>C</b>	<b>OTHER THAN RTC &amp; PEAK</b>									
1										
2										

Note: Introduced as per Commission's Suo-Motu Order 155/2010 dated 14.5.2010 and to be reported on a weekly basis by Tuesday of the following week.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.